

## राज्य सरकारी कर्मचारी की फ़ीस प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया (RS-CIT कोर्स)

प्रतिपूर्ति के लिए प्रारम्भ में शिक्षार्थी को अपनी सम्पूर्ण कोर्स फीस आई. टी. ज्ञान केन्द्र पर स्वयं देनी होगी, कोर्स पूर्ण करने व परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (DoIT & C) द्वारा फीस की प्रतिपूर्ति की जायेगी.

पुनः परीक्षा शुल्क की की प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी !

प्रतिपूर्ति के लिए शिक्षार्थी निम्न दस्तावेज संलग्न करें

1. अपने सम्बन्धित विभाग / कार्यालय से फ़ीस प्रतिपूर्ति संबन्धित , DoIT & C को अग्रेषित पत्र (duly typed with official seal , signature and dispatch no. [ preferably on letter head ] )
2. फीस रसीद की सत्यापित कॉपिया
3. बतौर सबूत, RS-CIT परीक्षा उत्तीर्ण होने मार्कशीट / सर्टीफिकेट की सत्यापित कॉपी
4. शिक्षार्थी द्वारा हस्ताक्षरित , नीचे दिया गया पूर्व भुगतान रसीद का प्रारूप :

### **PRE PAYMENT RECIEPT**

Recieved with thanks a sum of Rs. (in words) .....

only by Online Transfer / Demand Draft / Cheque from Department of Information Technology & Communication , Govt. of Rajasthan on account of RS-CIT course fee and incentive.

Please deposit the amount in my bank account no .....

in.....(Name of Bank) Branch ..... IFSC / RTGS

Code .....

Mobile No. –

Sign: -

GPF: -

Name: -

F\_Name: -

Designation : -

Home Address: -

Full Office Address: -

प्रोत्साहन राशि का भुगतान जो शिक्षार्थी प्रथम प्रयास में RS-CIT परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे , वही कोर्स फीस की 25 % प्रोत्साहन राशि के लिए मान्य होंगे |

उपरोक्त 1 से 4 दस्तावेज निम्नलिखित पते पर भेजे : -

(Mention “RS-CIT Reimbursement Claim – Govt. Employee ” on top of the envelop)

Address :

Rajasthan Knowledge Corporation Ltd  
7-A , Jhalana Institutional Area, Behind R.T.O.  
Jaipur - 302004